

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

॥ अ धि सू च ना ॥

संख्या-सं0का0-1/वि0मं0(सत्र)01-01/2025-656/पटना, दिनांक-14.08.2025
बिहार राज्यपाल का दिनांक-09.08.2025 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

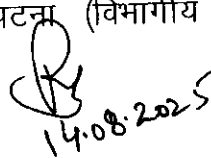
“भारत के संविधान के अनुच्छेद 174(2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आरिफ मोहम्मद खां, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2025 को सदन की बैठक की समाप्ति के पश्चात् बिहार विधान सभा का सत्रावसान करता हूँ।

पटना,
दिनांक-09.08.2025

आरिफ मोहम्मद खां,
राज्यपाल, बिहार।”

ह0/-
(राजेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या-सं0का0-1/वि0मं0(सत्र)01-01/2025-656/पटना, दि०-14.08.2025
प्रतिलिपि-प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/सरकार के सभी विभाग/महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/गृह मंत्रालय, पॉल-1(ए) (शाखा), भारत सरकार, नई दिल्ली/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ)/आईटी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित।


14.08.2025
सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

॥ अधिसूचना ॥

संख्या- सं०का०-१/वि०मं०(सत्र)०१-०१/२०२५-६५७/ पटना, दिनांक-१४.०८.२०२५
अधिसूचना संख्या-६५६ दिनांक-१४.०८.२०२५ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार
राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद
३४८ के खण्ड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :-

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(राजेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

GOVERNMENT OF BIHAR
DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

:: NOTIFICATION ::

Patna, Dated-14.08.2025

No.- P.A.-1/V.M.(Session)-01-01/2025-656/ The Following order of the Governor of
Bihar dated 09.08.2025 is hereby published for general information :-

“In exercise of the powers under Sub Clause (a) of Clause (2) of
Article 174 of the Constitution of India, I, Arif Mohammed Khan,
Governor of Bihar, hereby prorogue the Bihar Legislative Assembly
after completion of the business of the House on 25th July, 2025.

Patna,
Dated -09.08.2025

Arif Mohammed Khan,
Governor of Bihar.”

Sd/-

(Rajesh Kumar)

Additional Secy. to Govt.

Memo No.- P.A.-1/V.M.(Session)-01-01/2025-657/ Patna, Dated-14.08.2025

Copy :- Forwarded for information to Secretary in charge, Bihar Legislative
Assembly, Patna / Secretary, Bihar Legislative Council, Patna / Principal Secretary to
Hon'ble Governor of Bihar, Patna/ Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Bihar,
Patna/ Private Secretary to Hon'ble Minister, Parliamentary Affairs Department/ All
Department of Government/ Advocate General, Bihar, Patna High Court/ Director,
Information & Public Relations Department, Bihar, Patna / Ministry of Home Affairs,
Government of India (Political-1 (a) Sec.) New Delhi/ Superintendent, Secretariat Press,
Gulazarbagh, Patna for publication in extra ordinary gazette/I.T. Manager,
Parliamentary Affairs Department, Patna for publication on departmental Website.

14.08.2025
Additional Secy. to Govt.

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

॥ अ धि सू च न ॥

संख्या- सं०का०-१/वि०मं०(सत्र)०१-०१/२०२५-६५८/ पटना, दिनांक-१४.०८.२०२५
बिहार राज्यपाल का दिनांक-०९.०८.२०२५ का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद १७४(२) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आरिफ मोहम्मद खां, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा दिनांक २५ जुलाई, २०२५ को सदन की बैठक की समाप्ति के पश्चात् बिहार विधान परिषद् का सत्रावसान करता हूँ।

पटना,
दिनांक-०९.०८.२०२५

आरिफ मोहम्मद खां,
राज्यपाल, बिहार।”

ह०/-
(राजेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

संख्या- सं०का०-१/वि०मं०(सत्र)०१-०१/२०२५-६५८/पटना, दिनांक-१४.०८.२०२५
प्रतिलिपि :सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग/सरकार के सभी विभाग/महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/गृह मंत्रालय, (पॉल- १ ए शाखा), भारत सरकार, नई दिल्ली/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना (बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ) असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ/आई०टी० मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित।


१५.०८.२०२५
सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

॥ अधिसूचना ॥

संख्या- सं०का०-१/वि०मं०(सत्र)०१-०१/२०२५-६५९/ पटना, दिनांक-१४.०८.२०२५
अधिसूचना संख्या-६५८ दिनांक १४.०८.२०२५ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(राजेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

GOVERNMENT OF BIHAR
DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

:: NOTIFICATION ::

Patna, Dated-14.08.2025

No.- P.A.-1/V.M.(Session)-01-01/2025-658/ The Following order of the Governor of Bihar dated 09.08.2025 is hereby published for general information:-

“In exercise of the powers under Sub Clause (a) of Clause (2) of Article 174 of the Constitution of India, I, Arif Mohammed Khan, Governor of Bihar, hereby prorogue the Bihar Legislative Council after completion of the business of the House on 25th July, 2025.

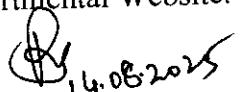
Patna,
Dated -09.08.2025

Arif Mohammed Khan,
Governor of Bihar.”

Sd/-
(Rajesh Kumar)
Additional Secy. to Govt.

Memo No.- P.A.-1/V.M.(Session)-01-01/2025-659/ Patna, Dated-14.08.2025

Copy:- Forwarded for information to Secretary, Bihar Legislative Council, Patna/ Secretary in charge, Bihar Legislative Assembly, Patna/ Principal Secretary to Hon'ble Governor of Bihar, Patna/ Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Bihar, Patna/Private Secretary to Hon'ble Minister, Parliamentary Affairs Department/ All Department of Government/ Advocate General, Bihar, Patna High Court/ Director, Information & Public Relations Department, Bihar, Patna/Ministry of Home Affairs, Government of India (Political-1 (a) Sec.) New Delhi/ Superintendent, Secretariat Press, Gulzarbagh, Patna for publication in extra ordinary gazette/I.T. Manager, Parliamentary Affairs Department, Patna for publication on departmental Website.


Additional Secy. to Govt.